न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
हकियत वाद–59 / 2015

पुतुल देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम्

गोनौरी राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

18.09.2024 अभिलेख आज प्रतिवादी की ओर से दाखिल आपत्ति आवेदन दिनांक–05.06.2024 तत्पश्चात् वादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–26.06.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद में नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा दाखिल प्रतिवेदन वादी के मेल व प्रभाव में आकर तैयार किया गया है। सर्वे जानकार अधिवक्ता ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि विवादी खेसरा का नापी किस प्वाईंट से किया गया है। उक्त प्रतिवेदन वादी के नाजायज मेल व प्रभाव में आकर प्रार्थी प्रतिवादी के दखल कब्जे वाली भूमि को सुरेन्द्र रजक के दखल कब्जा में बतलाया गया है जो पूर्णतः गलत है। सर्वे जानकार अधिवक्ता ने जान बूझ कर पी0 सी0 सी0 सड़क किस खेसरा में अवस्थित है इसका भी उल्लेख नहीं किया है और न ही कितना रकवा में सड़क है उसका भी उल्लेख नहीं किया है। वे विवादी खेसरा पुराना 1753 का कुल रकवा 2 कट्ठा 4.5 धुर बतलाया है। परन्तु यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि विवादी भूमि कौन–कौन व्यक्तियों के पास कितना रकवा दखल कब्जा में है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खतियायनी रैयत यदु राय वगै0 ने दिनांक 11–04–1972 को वद्री साह के हाथों रकवा 05 डी0 भूमि बिक्री कर दिया तथा खतियानी रैयत ने 12 धूर जमीन प्रतिवादी भरत राय के हाथों बिक्री कर दिया परन्तु विद्वान सर्वे जानकार अधिवक्ता ने जानबूझ कर वादी के मेल व प्रभाव में आकर इसका उल्लेख नहीं किया है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान सर्वे जानकार अधिवक्ता का प्रतिवेदन मिली वो नाजायज प्रभावी है। इसलिए सर्वे जानकार अधिवक्ता के प्रतिवेदन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत विरोध पत्र को स्वीकार करते हुए विद्वान सर्वे जानकार अधिवक्ता के द्वारा दाखिल प्रतिवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय।

वादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 26.06.2024 में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी का आवेदन विधि व तथ्य की दृष्टि से विचारणीय नहीं है। प्रस्तुत विरोध पत्र आवेदन काल बाधित है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा दाखिल प्रतिवेदन पर आपत्ति प्रतिवादी के द्वारा वैज्ञानिक मापी के बिन्दु पर न होकर अव्यवहारिक तथ्यों पर आधारित है। प्रतिवादी ने वैज्ञानिक अन्वेषण एवं मापी के बिंदु पर विशिष्ट रूप से कोई अभिवचन अंकित नहीं किया है तथा वाद को लंबित रखने के उद्देश्य से यह आवेदन दाखिल किया गया है जब वादी की ओर से आयुक्त महोदय के साथ साक्ष्य हेतु दिनांक 24.06.2024 को दस्ती सम्मन निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया। प्रतिवादी का आक्षेप निराधार एवं गलत कथनों पर आधारित है तथा आयुक्त महोदय ने अपने प्रतिवेदन में वैज्ञानिक सर्वे माप द्वारा विवादित भूमि को चिन्हित कर दखल कब्जा को दर्शाया है तथा प्रतिवेदन में सभी आवश्यक मापदण्डों के अनुसार प्रश्नगत बिन्दु को दर्शाया है। विदित हो कि प्रतिवादी के

आवेदन पर ही यह सर्वे दल का अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति किया गया था तथा यदी प्रतिवादी को सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दाखिल प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति है तो प्रतिवादी आयुक्त के साक्ष्य के दौरान विर्निदिष्ट बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण कर सकते हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन दिनांक 05.06.2024 को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में विवादित भूमि के वैज्ञानिक पैमाइश हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री उत्तम कुमार वर्मा की नियुक्ति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा की गई तत्पश्चात् विवादित भूमि की वैज्ञानिक पैमाइश कर दिनांक–07.12.2023 को सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त महोदय के द्वारा प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया। वर्तमान वाद अभी बहस हेतु लंबित है तथा प्रतिवादी की ओर से उठाए गए प्रतिवेदन के संबंध में आपत्ति अंशतः विवेचन योग्य है। विधि का अभिनिर्धारित सिद्धांत है कि विशेषज्ञ द्वारा दिए गए साक्ष्यों का खण्डन प्रतिपक्ष द्वारा किया जा सकता है जो उक्त विशेषज्ञ के रिपोर्ट के संबंध में मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान अंकित किया जा सकता है। अतः न्यायालय यह पाती है कि सर्व जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दाखिल प्रतिवेदन के पुष्टिकरण या खण्डन के लिए उक्त आयुक्त का साक्ष्य आवश्यक है जिसके प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त है। तद्नुसार प्रतिवादी का आपत्ति आवेदन इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि वे अपना समस्त विरोध सर्वे जानकार अधिवकता आयुक्त के साक्ष्य के दौरान उठा सकते हैं। वादी की ओर से दिनांक 24.04.2024 को सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के साक्ष्य हेतु दस्ती सम्मन निर्गत करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसे स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देष दिया जाता है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की उपस्थिति हेतु सम्मन का उपकरण दाखिल करें।

दिनांक–**30.10.2024** वास्ते दाखिल करने सम्मन का उपकरण।

राजीव कुमार
मुंसिफ,
शाहपुर पटोरी।